32/2014
2014/00011

मोहन बनाम दलीचन्द
निर्णय 9/6/22

24/3/22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थना से पत्रावली बास्ते साक्ष्य दिनांक 13/4/22 को पेश हो।

13/4/22 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली बास्ते साक्ष्य की दिनांक 5/5/22 को पेश हो।

5/5/22 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली बास्ते साक्ष्य की दिनांक 26/5/22 को पेश हो।

26/5/22 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। साक्ष्य बाबी हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली बास्ते साक्ष्य की दिनांक 9/6/22 को पेश हो।

9/6/22 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित नही है। उभय पक्षो को बाबी आवश्यक लगायी गयी। किन्तु न्यायालय समय समाप्ति तक उभय पक्ष व वादी प्रतिवादी उपस्थित नही होने प्रकरण [illegible] अन्तिम सुनवाई में रखा [illegible] है। पत्रावली [illegible] निर्णय नियमानुसार [illegible] है।

9.6.2022

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:48:16 IST
Reason: SelfAttested